

भारत सरकार / Government of India
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय / Ministry of Health and Family Welfare
अखिल भारतीय भौतिकचिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION
हाजी अली, के. के. मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई- 400 034.
Haji Ali, K.K.Marg, Mahalaxmi, Mumbai – 400 034.

संदर्भ सं./Ref.No.:स्थापना/अनुपयोगी निविदा/Estt/Condemnation /Quot/369

दिनांक /Dated : 23/06/17

To,

नीचे दर्शाए गए अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री एवं निपटार हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

SEALED QUOTATION ARE INVITED FOR SALE AND DISPOSAL OF CONDEMNED ITEMS AS LISTED BELOW.

इसके साथ संलग्न सूची के अनुसार 'जिस आधार पर जैसा है' अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री का प्रस्ताव किया जाता है। इच्छुक बोलीदाता/रददी व्यापारी, अनुपयोगी वस्तुओं की संलग्न सूची की खरीद हेतु अधिकतम दर प्रस्तुत करें।

It is proposed to dispose off condemned Items as per list attached herewith on 'As is where is basis' The interested bidders/scrap dealers should submit the maximum rate for purchase of the enclosed list of Condemned articles/items.

- 1) निविदामुहरबंद लिफाफे के ऊपर 'अनुपयोगी वस्तुओं की खरीद हेतु निविदाएं' शीर्षक देकर निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, हाजी अली, मुंबई-400 034 को भेजें। इसे दिनांक ०३/०७/२०१७ को 12.30 बजे (अपराह्न) या उससे पहले ब्लॉक "बी" स्थित स्थापना अनुभाग में उपलब्ध निविदा पेटी में डालें।

The quotation should be submitted in sealed envelope superscribed as **"Quotation for purchase Condemned articles/ 1) Isokinetic Exercise System – Kin com 500 H / 2) CAD-CAM machine & Accessories :-**

(i) Auto scanner with connecting ports (ii) Computer - Desk" to the Director, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Haji Ali Park, Mumbai-400 034. The same is to be dropped in quotation Box kept in Establishment Section (Room No.201) of block 'B' on or before **03/07/2017 S.T.**

- 2) केवल वही निविदामान्य होगी और उसी पर विचार किया जाएगा जिसपर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम एवं पदनाम के साथ पैन/टिन संख्या होगी। एजेंसी के पास अप्रयोज्य पुरानी वस्तुओं के निपटार का अनुभव एवं वैध पैन, टिन एवं वैट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
Quotation with name & designation of authorized signatory by mentioning PAN/TAN Number will only be valid. The Agency should have past experience in disposal of unserviceable old goods and should have valid PAN TIN & VAT registration.

- 3) हर सूचीबद्ध अनुपयोगी वस्तु की अधिकतम दर ही स्वीकार की जाएगी।
The highest quotation for each listed condemned items will only be accepted.

- 4) अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए निविदाओं को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार रखते हैं।
The undersigned reserves the rights to reject or accept the tenders, without any reason being assigned.

- 5) अनुपयोगी वस्तुओं को देखने के लिए रददी व्यापारियों से अनुरोध है कि वे दिनांक २९/०६/१७ एवं ३०/०६/१७ को 2.00 बजे अपराह्न संस्थान में आए।
Scrap dealers are requested to visit this Institute on **29/06/17** and **30/06/17** at 2.00 p.m. to view condemned items.

- 6) रददी व्यापारी ₹.10,000/(केवल दस हजार का एक काँस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रतिभूति राशि जो 'वित्त एवं लेखा अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मुंबई - 400 008' के पक्ष में आहरित, कर जमा कराएँ। अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद इसे लौटा दिया जाएगा। सुरक्षा जमा के बिना प्राप्त निविदा को अवैध समझा जाएगा एवं अयोग्य ठहराया जाएगा।

The Scrap dealer should deposit the Security Deposit in the form of a Crossed Demand Draft of ₹.10,000/- (₹.Ten thousand only) drawn in favour of **"The Pay and Accounts Officer, Ministry of Health & Family Welfare, Mumbai-400 008"**. The same will be returned after obtaining the clearance certificate from the undersigned. Quotation received without Security deposit shall be treated as invalid and shall be disqualified.

- 7) सफल रददी व्यापारियों की प्रतिभूति राशि निम्न शर्तों पूर्ण होने से पहले वापस नहीं की जाएगी।
The security Deposit of successful scrap dealer will not be returned until following conditions are fulfilled:
 - a) यदि, संबंधित विभागों से पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, तब तक।
Until complete compliance report is received from concerned departments
 - b) यदि, सभी सूचीबद्ध अनुपयोगी मशीनरी उपस्कर, फर्नीचर (लकड़ी/स्टील)/अस्पताली कपड़े आदि नहीं ले जाए जाते, तब तक।
All listed condemned equipments/furniture(Wooden/Steel)/hospital linens etc. are taken away.
 - c) यदि, कोई अतिरिक्त वस्तु विभाग की जानकारी के बिना ले जाई जाए।
If, any additional item is taken away without of the knowledge of the department.
 - d) यदि, रददी व्यापारी द्वारा संस्थान की किसी संपत्ति की हानि हो/टूटी हो।
If, any property of this Institute is damaged/broken by the scrap dealer.

- 8) अनुपयोगी सामग्री प्रातः 9.00 बजे से 3.00 बजे अपराह्न के बीच ले जाई जा सकती है। किसी भी स्थिति में रद्दी व्यापारियों को 3.00 बजे अपराह्न के बाद अनुपयोगी सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रस्ताव पत्र जारी होने के 7 दिनों के अंदर पूर्ण भुगतान कर अप्रयोज्य वस्तुओं को ले जाना होगा अन्यथा संरक्षा जमा जब्द कर ले जाएगी।

Condemned material can be taken out only between 9.00a.m. to 3.00p.m. The party will not allowed take away condemned articles after 3.00p.m. in any circumstances. The unserviceable items are to be lifted within 7 days of issue of letter of offer on making full payment thereof other wise the security Deposit will be forfeited.

- 9) अनुपयोगी वस्तुओं को ले जाते समय पूर्ण शांति एवं व्यवस्था बनाए रखनी होगी क्योंकि यह संस्थान भारत सरकार के अधीन न अस्पताल है।
Proper decorum and silence has to be maintained while taking away condemned articles as this Institute is hospital under Government of India.

Sd/-

(विशेषज्ञ ग्रेड-I (विकिरण विशेषज्ञ) /
Specialist Gr.I (Radio Diagnosis) /
अध्यक्ष निष्प्रयोज्य समिति / Chairperson Condemnation Committee